न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 144/2022

प्रार्थी

1. राजाराम पुत्र श्री डुंगाराम जाति घांची निवासी बिलाडीया दरवाजा के अन्दर सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान
2. बंशीलाल पुत्र डुंगाराम जाति घांची निवासी बिलाडिया दरवाजा के अन्दर सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

01. सोहनलाल पुत्र गमाराम
02 उरजाराम पुत्र गमाराम जातियान घांची
03 निवासीगण बिलाडीया दरवाजा के बाहर, सोजत सिटी
04 ओमाराम पुत्र गमाराम जाति घांची निवासी बिलाडिया दरवाजा के अन्दर सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली
05 कन्हैयालाल पुत्र भंवराराम
06 रमेश पुत्र भंवराराम
07 बीबी देवी पत्नी भंवराराम जातियान घांची निवासीगण बिलाडिया गेट के बाहर, सोजत सिटी
08 बिचकी देवी पत्नी सुजाराम पुत्री भंवरा राम जातियान घांची निवासीगण जोधपुरिया गेट के बाहर सोजत सिटी जिला पाली
09 हेमाराम पुत्र पेमाराम
10 पुखराज पुत्र पेमाराम
11 मदनलाल पुत्र पेमाराम
12 घेवरराम पुत्र जस्साराम जातियान घांची निवासीगण बिलाडिया गेट के बाहर, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः–

01. श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 03/10/23

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जा सुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत में प्रार्थीगण के पिता डुंगाराम की खातेदारी सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 392, 393, 396, 406, 406, 407, 408, 476, 477, 555, 563, 567 कुल खसरा 11 कुल रकबा 13. 00 हैक्टर आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 10.01.1972 को हो चुकी है। तथा भाई गमाराम , सुकराराम, भंवराराम का भी देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण की माता विद्यादेवी तथा बहिन सैणकी के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध में संपूर्ण हक त्याग कर हकतर्क नामा प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया है। ऑनलाईन खातेदारी नही होने से जमाबन्दी की प्रति प्राप्त नही हो रही है। उक्त वादस्थ भूमि पर डुंगाराम के स्थान पर प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता के मध्य आज से 55 वर्ष पहले मौखिक बंटवाडा हो चुका है। प्रार्थीगण का मौके पर बंटवाडा केअनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। सुकराराम के द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 08 से 12 को बेचान कर दी है। मोखिक बंटवाडा अनुसार ही मौके पर माठ कायम

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

की गई है तथा फसल बुवाई की जाकर तारवंदी कर फाटक लगा रखी है। प्रार्थीगण मुम्बई व्यवसाय करता है उसकी तरफ से माता एवं बहन कृषि भूमि की देखरेख करती है। अप्रार्थीगण की नियत खराब होने से प्रार्थीगण के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने लगे तथा 25.07.2022 को प्रार्थी राजाराम के साथ मारपीट की एवं दिनांक 31.07.2022 को बंशीलाल के हक हिस्से में पत्थर रोपना शुरू कर दिया। जिसे पर वंशीलाल ने दिनांक 02.08.2022 को थाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने का कोई विधिक अधिकार नही है। तिनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वादस्थ कृषि भूमि खसरा नम्बर 392, 393, 396, 406, 406, 407, 408, 476, 477, 555, 563, 567 कुल खसरा 11 कुल रकबा 13.00 हैक्टर में प्रार्थी के हक हिस्से, उपयोग उपभोग, कब्जा, काश्त, फसल अवरोई, कटाई, निदाण में किसी प्रकार दखल अन्दाजी नही करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 08 से 12 बावजुद सुचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती गई। अधिवक्ता श्री गजेन्द्रदवे ने अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने वाद बिल्कुल गलत, निराधार, व कपोल कल्पित आधारो पर पेश किया है। सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 392, 393, 396, 406, 406, 407, 408, 476, 477, 555, 563, 567 कुल खसरा 11 कुल रकबा 13.00 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की अवश्य आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण के पिता डुंगाराम व अप्रार्थीगण के पिता सुकराराम व भंवराराम का भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि उपरोक्त वादस्थ भूमि का मौके पर मौखिक बंटवाडा हो चुका है। मौके पर आज भी भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण ने दादा गोरारामजी की वंशावली का वंश वृक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण ने जानबुझकर डुंगाराम की पत्नी विद्यादेवी व बहिन सेणीदेवी को दर्शित नही किया है जबकि आज भी डुंगाराम की पत्नी विद्यादेवी व जाईन्दा पुत्री सेणी देवी जीवित है जिनका भी प्रार्थीगण के हक हिस्से के बराबर हिस्सा निहित है। हकतर्क नामा की कोई जानकारी अप्रार्थीगण को नही है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि आज से करीब 55 वर्ष पहले मौखिक बंटवाडा हो चुका है। मौके पर आज भी संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिस कृषि भूमि पर सभी खातेदारान माफिक हक हिस्से अनुसार संयुक्त काश्त करते आ रहे है। आज भी सुकरारामं जी के विधिक वारिसान का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व अधिकारीयों की गलती व त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड जमाबंदी चौसाला तैयार करते समय स्व. सुकरारामजी का नाम दर्ज होना सेवन से रह गया था जो एक सद्भाविक त्रुटि है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को व्यक्तिगत रूप से बखूबी है इसके बावजूद प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर सुकरारामी के हिस्से को अप्रार्थी संख्या 08 से 12 को बेचान करना बताया है। प्रार्थीगण ने सुकराराम जीके विधिक वारिसान का संयोजन नही किया गया है जिससे वाद खारिज योग्य है। प्रार्थीगण अपने व्यवसाय के कार्य की वजह से मुम्बई मे निवास करते है जिनका मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त आया हुआ स्थित नही है। प्रार्थीगण ने जानबुझकर मौखिक बंटवाडे के तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रकरण में माठ को लेकर को वाद विवाद नही हे। अप्रार्थीगण ने कोई मारपीट नही की है तथा न ही बंशीलाल के हक हिस्से मे पत्थर रोपने का कार्य किया है। अप्रार्थीगण ने कभी भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करने से इंकार नही किया है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा कराने हेतु तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग में दखल रोकने हेतु व तारबंदी व फाटक व फसल नुकसान पहुंचाने से रोकने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है जबकि वादस्थ कृषि

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है जिस कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 का 1/8 हिस्सा तथा स्वर्गीय सुकराराम के विविध उतराधिकारीयों का संयुक्त रूप से 1/8 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आता है इसलियें प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है ओर न ही प्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा करवाने के अधिकारी है। मौके पर काबिज काश्त अनुसार बेचान व अन्य हस्तान्तरण करने का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त होने से प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में। अप्रार्थीगण एक काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र साधन कृषि भूमि है। यदि उसे रोका जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीयक्षति होगी। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने व अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि में आज से 55 वर्ष पहले हुए मौखिक बंटवाडा को नकराते हुए प्रार्थीगण के हक हिस्से में दखल अन्दाजी कर रहे है। प्रार्थीगण ने लाखो रूपये खर्च कर अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाया है। अप्रार्थीगण माठ को खुर्द बुर्द कर दखल अन्दाजी कर रहे है जिन्है वाद निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा रोका जावे। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से मौके पर कब्जे की स्थिति बता रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य 55 वर्ष पहले किसी प्रकार का बंटवाडा नही हुआ है। वादस्थ भूमि संयुक्त खातेदार की अविभाजित कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है जिन्है अपने हक हिस्से की भूमि का बैचान करने का पूर्ण अधिकार है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र तथा फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वादस्थ भूमि संयुक्त खातेदारी की एक अविभाजित कृषि भूमि है। पक्षकारों के हक अधिकार का विनिश्चिय दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायम होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर किया जावेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में चूकि वादस्थ भूमि सयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है तथा जब तक विधिक बंटवाडा नही हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेघाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03/08/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत